२२/5/24.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। वादी अधिवक्ता की ओर से	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

मदनलाल — बनाम — रामलाल

संख्या / वर्ष : [illegible] / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-5/24	श्री हरीश शर्मा एवं प्रतिवादी । व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद बागड़ा हाजिर । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी खाता सं. 163 खसरा न. 45 रकबा 0.5091 हे०, खसरा न. 48 रकबा 0.5185 हे. एवं खसरा न. 49 रकबा 1.1002 हे० कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 हे०, ग्राम मंशारामपुरा, पटवार हलका निवारु, भू-अभिलेख निरीक्षक झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है । वादग्रस्त भूमि, संयुक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर ...

मुकदमा संख्या/वर्ष राज्य सरकार बनाम नाथूराम

/20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि...
		खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है, इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी अधि॰ ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 आदि बिना विभाजन करवाए, अवैध अतिक्रमण कर, प्रार्थी को ~~...~~ जबरन बेदखल करते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण 1 व 2 ने अपने जबाब अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र के साथ, काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा॰ पत्र भी पेश किया है, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी अधि॰	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर ...

फर्द अहकाम

[illegible] न्यायालय
जयपुर [illegible]

मुकदमा [illegible] बनाम [illegible]

संख्या / वर्ष : [illegible] / 20

तारीख आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-5-24	ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की अन्य भूमि खाता नं. 164 के खसरा नम्बर 44/366 रकबा 0.6450 है, खसरा नम्बर 51, रकबा 0.5944 है0, खसरा नं. 83 रकबा 2.0740 है0 कुल किता 3 कुल किता रकबा 3.3134 है0, राजस्व ग्राम मंशारामपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरवाड़ा, तहसील व जिला-जयपुर व खाता सं. 83 के खसरा नम्बर 214, रकबा 1.1002 है0, [illegible] डूंगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मान्चवा, तहसील व जिला जयपुर का तकासमा भी किया जाना आवश्यक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
जयपुर [illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर जयपुर [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष — मोतीलाल बनाम रामपाल

[illegible] / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		है। अप्रार्थी आदि० ने बताया कि प्रार्थी के द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये, ~~[illegible]~~ समस्त कृषि भूमि के विधिवत विभाजन का दावा पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण काउन्टर क्लेम के माध्यम से उक्त समस्त खसरा नम्बरों के लिए विभाजन का अनुतोष चाह रहे हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमि ~~[illegible]~~ पर प्रार्थी को पाबंद किया जावे, प्रार्थी, अप्रार्थीगण रामलाल व मोहनलाल के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी उत्पन्न ना करे। अप्रार्थी आदि० ने दौरान बहस यह भी जाहिर किया कि यदि प्रार्थी नए मकान का निर्माण कर सकता है तो अप्रार्थीगण को भी मकान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संख्या / वर्ष : ______ / 20____

मडआलाल बनाम रोशनलाल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/5/24	व अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण अपनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि में करने की इजाजत प्रदान की जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के गहनतापूर्ण अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी ने यह प्रा० पत्र, दावा बाबत विभाजन के साथ पेश किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित विवादित आराजियात में व अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं। विवादित भूमि का विधिवत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय

मुकदमा संख्या / वर्ष गड़ोलाल्जी बनाम नाथालाल / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण दिनांक कार्य
		विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषयवस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के चरण संख्या - ③ में उल्लेखित भूमि एवं अप्रार्थीगण के काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा के चरण सं. ⑨ में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तारीखतला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण ने यह भी उज्र किया है कि सहखातेदार ने जो आवास का निर्माण कर रखा है, इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ~~समक्ष~~ राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करें सकता है,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक आयुक्त जयपुर शहर प्रथम

भँवरलाल बनाम रामलाल

संख्या / वर्ष : टी/10828 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/5/24	तहसीलदार, मौका निरीक्षण करे। दौराने मौका निरीक्षण यदि कई सहखातेदारों में से किसी सहखातेदार ने आवासीय मकान बना रखा है तो आवेदनकर्ता को भी नियमानुसार गुणावगुण पर पुनकर अनुमति प्रदान की जावे। यदि अप्रार्थीगण, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद नया निर्माण करते हैं तो उन पर यह व्यादेश प्रभावित नहीं होगा। फैसला आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक आयुक्त जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested